उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग--8
सं0 /2012/10(120)/XXVII(8)/2012
देहरादून:: दिनांक:: ३० मई, 2012

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;--

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची--III में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं--

संशोधन

अनुसूची--III के क्रमांक 8 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायेगी; अर्थात--

9.	समस्त प्रजाति के वृक्ष और सभी प्रकार की इमारती लकड़ी तथा काष्ठ, चाहे वह उगाई, काटी और चोरी गयी हो किन्तु इसमें उनके उत्पाद और जलौनी लकड़ी सम्मिलित नहीं है।	आ0 या नि0 :- उत्तराखण्ड वन विभाग, उत्तराखण्ड वन निगम या वन के निजी स्वामियों द्वारा बिक्री	15 प्रतिशत

टिप्पणी : जहॉं उत्तराखण्ड वन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड वन निगम को बिक्री की गयी है, वहॉं कर वन निगम द्वारा बिक्री के बिन्दु पर उद्ग्रहणीय होगा न कि वन विभाग द्वारा बिक्री के बिन्दु पर।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

सं0-478/2012/10(120)/XXVII(8)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1--आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2--निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉं इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100--100 प्रतियॉं वित्त अनुभाग--8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3--भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4--सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5--एन0आई0सी0

6--गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(प्रदीप सिंह रावत)
उपसचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 478 / 2012/ 10(120)/ XXVII(8)/ 2012 dated 30 May, 2012 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 478/2012/10(120)/XXVII(8)/2012
Dehradun :: Dated: : 30 May, 2012

Notification

WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in Schedule-III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005:-

[illegible]

After the existing entry at serial no. 8, the following entry shall be added; namely-

9.	Timber and wood of all kinds and of all trees, of whatever species, whether growing or cut or sawn but their products and firewood is not included.	M or I Sale by Uttarakhand Forest department, Uttarakhand Forest Corporation or by the Pvt. Owners of the Forest.	15%

Note : where the sale is by the Uttarakhand Forest Department to the Uttarakhand Forest Corporation, the tax shall be levied at the point of sale by the said Corporation and not at the point of sale by the Forest Department.

(Radha Raturi)
Secretary.